Form no 111

(नियम 135)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

परविन्द्र सिह बनाम मुकन्द सिह आदि

अन्तर्गत धारा :- धारा 53,88,188 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :- 175 /2021

राजस्व विविध संख्या :- 75 /2021

09.04.2021 यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 188,88,53 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। वाद-पत्र के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट. सहपठित "परविन्द्र सिह बनाम मुकन्द सिह आदि" प्रस्तुत किया गया है। समिया से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] के जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन [illegible] रास्ते तलबी दिनांक 24.05.2021 को पेश [illegible]

17/8/21 [illegible] पालना में [illegible] 19/08/21 को पेश है।

19/8/21 [illegible] द्वारा प्रार्थना पत्र पेश की कि [illegible] है। वह अपना [illegible] में Withdraw करना चाहता है [illegible] स्वरीक हलफनामा [illegible]

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2021.09.06 12:41:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड हनुमान